(37)

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर : केम्प उज्जैन :

प्र0 क्र0 /14 निगरानी. R. 2832-I/14

प्रार्थी अभिभाषक श्री.....शैलेन्द्र गोयल
द्वारा प्रस्तुत 30/7/2014
दिनांक.............. 30.7.14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

4550
30/7/14

तोलाराम पिता मन्नाजी, आंजना, आयु 60 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ग्राम अरन्या बागदा, तेहसील महिदपुर, जिला उज्जैन. — आवेदक

विरूद्ध

1- रामा पिता मन्नाजी, आयु लगभग 40 वर्ष जाति बागरी, निवासी ग्राम अरन्या बागदा तेहसील महिदपुर जिला उज्जैन.

2- म0प्र0 राज्य शासन द्वारा तेहसीलदार तेहसील महिदपुर, जिला उज्जैन. -अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0.

माननीय महोदय,

आधिनस्थ योग्यन्यायालय अनावेदक क्र0 2 म0प्र0राज्य शासन द्वारा तेहसीलदार, तेहसील महिदपुर द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त झारडा महिदपुर द्वारा किये गये सीमांकन प्र0 क्र0 69अ12/13-14 जिसका प्रतिवेदन दिनांक 28-6-14 से असन्तुष्ट होकर निगरानी अन्दर अवधि निम्न आधारो पर पेश है।

-:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::-

अनावेदक क्र0 1 रामा द्वारा अपने आपको शासकीय पट्टेदार होना व्यक्त कर भूमि सर्वे क्र0 320:3 रकबा 0-57 : शून्य दशमलव सत्तावन : हेक्टर का सीमांकन किये जाने बाबत् एक आवेदन-पत्र अनावेदक क्र0 2 के समक्ष पेश किया जिस पर से अनावेदक द्वारा क्र0 तेहसीलदार महोदय ने आधिनस्थ राजस्व निरीक्षक को पत्र क्र0 923 आदेश दिनांक 9-5-13 के अनुसार सीमांकन किये जाने बाबत् आदेशित किया जिस पर से संबंधित राजस्व निरीक्षक ने बगैर प्रार्थी व अन्य को सूचित किये दिनांक 12-5-13 को मौके पर एक अवैध पंचनामा बनाकर उसमें प्रार्थी के हिस्से में उक्त भूमि में से 0-05 हेक्टर पर मौके पर आधिपत्य पाया जाना व्यक्त कर उस भूमि का आधिपत्य प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत् उल्लेख किया जबकि धारा 250 म0प्र0भू0रा0सं0

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

37

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2832-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र गोयल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** 3	